

तृतीय श्रेणी कार्यपालिक

वाणिज्यिक कर विभाग																						
17	आवकारी उप निरीक्षक	0	2	1	7	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	
	मुख्य भाग (87%)	0	2	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7		
	प्रावधिक भाग (13%)	3*	0	0	3	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
18	उप पंजीयक	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	
सहकारिता विभाग																						
19	सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी	4	2	3	5	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	36200-114800 (7th pay)	
	मुख्य भाग (87%)	4	2	3	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14		
	प्रावधिक भाग (13%)	2*	0	0	2	0	1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
	श्रम विभाग																					
20	सहायक श्रम पदाधिकारी	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	
नगरीय विकास एवं आवास विभाग																						
21	मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी "ग"	0	0	1	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे	
कुल पद		40	19	30	39	16	11	6	9	13	5	0	0	0	0	0	1	1	1	2	155	

UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes, EWS – Economically Weaker Section
LD- Locomoter Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability

Abbreviations

आरक्षण प्रक्रिया आरक्षण प्रक्रिया "मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के उपबंधों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के अनुदेशानुसार होगी।

- टीप :**
- तालिका में दर्शाए गए निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
 - ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (Ineligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/ चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा। जिसका पूर्णरूपेण जिम्मेदार अभ्यर्थी स्वयं होगा।
 - समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को देय आरक्षण एवं शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे। जिन पदों हेतु किसी श्रेणी / वर्ग हेतु पद आरक्षित नहीं हैं उन पदों हेतु संबन्धित श्रेणी / वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित के रूप में ही विचारित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉनक्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण तथा अन्य लाभ देय होंगे। मध्यप्रदेश के ऐसे अन्य पिछड़ा वर्ग के मूल निवासी जो क्रीमीलेयर में आते हैं, आवेदन-पत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग भरने पर भी अनारक्षित वर्ग के समान ही मान्य किए जाएंगे तथा इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व "परिशिष्ट- III" बिन्दु 6 में उल्लेखित यह घोषणा-पत्र (Declaration) देना होगा कि वे शासन द्वारा अभिनिर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आते हैं।
 - आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मान्य होना चाहिए।
 - चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शासन द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी (परिवीक्षा के संदर्भ में व्यवस्था संबंधित विभागों के अर्ती नियमों के अनुसार रहेगी)।

टीप -

- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2026 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकरण दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में जारी किया जाना है, इस संबंध में संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्ति विवरण के अनुसार मुख्य भाग 87% (14% अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण एवं संबंधित विभागों से प्राप्त रिक्ति विवरण के अनुसार प्रावधिक भाग 13% (अन्य पिछड़ा वर्ग पदों के आधार पर) का रिक्ति विवरण में उल्लेख किया गया है।
- उक्त पदों हेतु प्रारंभिक परीक्षा में चयनित प्रावधिक अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से ही सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरुद्ध ही चयनित होंगे न की पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरुद्ध।